


21.02.2025. - पत्रवाली आज पेशी में ली गई। उभयपक्ष

अधिवक्ता अनुपस्थित। पत्रवाली का अवलोकन किया गया। बाद अवलोकन पाया की वादी व प्रतिवादीगण अधिवक्ता द्वारा वाद पत्र में कोई आवश्यक कार्यवाही नहीं की जा रही है। वादी व प्रतिवादीगण अधिवक्ता को बार-बार आवाज लगाई गई। आवाज लगाने के उपरान्त भी असालतन/वकालतन उपस्थित नहीं आये। उभयपक्ष अधिवक्ता के उपस्थित नहीं आने के कारण वाद पत्र अदम पैरवी/अदम हाजरी में खारिज किया जाता है। पत्रवाली नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

  
सहायक क्लर्क  
एवं उपखण्ड अधिकारी  
धनुमानगढ़

